स्वतंत्र सहमति से क्या आशय है ? सहमति कब स्वतंत्र नहीं मानी जाती है ? OR, सहमति क्या है ? गलती पर प्रसंविदा की मान्यता का क्या प्रभाव पड़ता है ?

Ans:- एक वैध अनुबंध के लिए स्वतंत्र सहमति का होना अति आवश्यक है। स्वतंत्र सहमति में दो बातें आवश्यक हैं — (i) सहमति तथा (ii) सहमति का स्वतंत्र होना।

→ सहमति से आशय :→ भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार "दो या दो से अधिक व्यक्ति की सहमति उस समय मानी जाती है जब वे एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होते हैं।" उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार — (i) कम से कम दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। (ii) दोनों पक्षकार एक ही बात के संबंध में सहमत हों। (iii) दोनों पक्षकार एक ही भाव से सहमत हों।

सहमति की परिभाषा के अनुसार सहमति के लिए आवश्यक है कि प्रस्तावक और स्वीकर्ता एक ही बात को एक ही भाव से समझ कर सहमति दें। यदि वे अलग-अलग बातों पर एक भाव से या एक ही बात पर अलग-अलग भावों से सहमत होते हैं तो ऐसी सहमति मान्य नहीं होगी। सहमति उस समय मानी जाती है जब पक्षकार अनुबंध कृत्यों के संबंध में समान भाव से सहमत होते हैं जिनमें मतैक्य का होना आवश्यक है। भाव की भिन्नता तीन कारणों से हो सकती है।

(i) अनुबंध की विषय-वस्तु के संबंध में → इस संबंध में रैफिल्स बनाम विचिल हैंस के वाद में एक पक्षकार ने 125 गांठें रुई खरीदने का अनुबंध किया जो पिअरलैस (Peerless) नामक जहाज पर मुंबई से आनेवाला था। इस नाम के दो जहाज मुम्बई से आनेवाला था। एक पक्षकार का आशय उस जहाज से था जो अक्टूबर में आनेवाला था। दूसरे पक्षकार का आशय उस जहाज से था जो दिसम्बर में आनेवाला था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि चूंकि दोनों पक्षकार एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत नहीं है, इसलिए इनमें कोई मान्य अनुबंध नहीं माना जायेगा।

(ii) अनुबंध की प्रकृति के संबंध में :→ इस संबंध में शास्मचन्द्र बनाम कन्हई लाल के वाद में एक पक्षकार ने झूठ बोलकर एक प्रलेख पर हस्ताक्षर करवा लिये। दूसरे पक्षकार का आशय सिर्फ गवाह के रूप में हस्ताक्षर करना था, जबकि पहले पक्षकार ने उससे प्रलेख के पक्षकार के रूप में हस्ताक्षर करवा लिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि सहमति नहीं हुई क्योंकि दोनों पक्षकार एक ही बात पर भिन्न-भिन्न भाव से सहमत हुए थे।

(iii) पहचान के संबंध में :→ इस संबंध में कन्डी बनाम लिंडसे का वाद उल्लेखनीय है। इसमें ब्लैंकिरण & कम्पनी लिंडसे के प्रतिष्ठित ग्राहक थे। उन्हीं ग्राहकों से मिलते-जुलते नामवाले ब्लैंकर्ण नामक व्यक्ति ने लिंडसे को माल के लिए आदेश दिया। उस आदेश पर ब्लैंकर्ण ने हस्ताक्षर इस प्रकार किया कि वह ब्लैंकिरण & कम्पनी का हस्ताक्षर प्रतीत होता था। लिंडसे ने ब्लैंकर्ण के उस आदेश को अपनी प्रतिष्ठित ग्राहक ब्लैंकिरण & कम्पनी का आदेश समझकर माल ब्लैंकर्ण को भेज दिया। ब्लैंकर्ण ने माल कन्डी को बेच दिया। ब्लैंकर्ण ने लिंडसे को भुगतान नहीं किया। लिंडसे ने कन्डी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया। निर्णय दिया गया कि ब्लैंकर्ण की गलती कपट के कारण ही ब्लैंकर्ण और लिंडसे में वास्तव में कोई अनुबंध हुआ ही नहीं। अत: कन्डी का माल पर कोई वैध अधिकार नहीं था।

→ स्वतंत्र सहमति की परिभाषा :→ भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार सहमति उस समय स्वतंत्र नहीं जायेगी जबकि वह निम्न से प्रभावित न हो — (i) उत्पीड़न (ii) अनुचित प्रभाव (iii) कपट अथवा धोखा (iv) मिथ्यावर्णन तथा असत्य कथन (v) भूल या गलती।

(i) उत्पीड़न → उत्पीड़न या बलप्रयोग का आशय किसी व्यक्ति को ठहराव के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से कोई ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना है जो भारतीय दण्डसंहिता द्वारा वर्जित है अथवा किसी व्यक्ति को हानि पहुँचाने के लिए किसी सम्पत्ति को अवैध रूप से रोक लेना अथवा रोकने की धमकी देना।

(ii) अनुचित प्रभाव :→ कोई अनुबंध अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित किया गया, उस समय कहा जाता है जब पक्षकारों के बीच इस तरह के संबंध है कि उसमें से एक पक्षकार दूसरे की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में है और उस पक्षकार पर अनुचित लाभ पाने के लिए वह उस स्थिति को प्रयोग में लाता है।

(iii) धोखा अथवा कपट :→ जब अनुबंध का एक पक्षकार अथवा उसकी अनदेखी से या उसका प्रतिनिधि दूसरे पक्षकार या उसके प्रतिनिधि को धोखा देने के अभिप्राय से अथवा उसको अनुबंध के लिए प्रेरित करने के अभिप्राय से निम्नलिखित कार्यों से कोई कार्य करता है तो उसे कपट कहते हैं —

Scanned with CamScanner

किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी बात को सत्य बताना जो सत्य नहीं है और जिसका सत्य होने का विश्वास भी नहीं है।

(v) मिथ्या वर्णन अथवा असत्य कथन: → भारतीय अनुबंध अधिनियम में मिथ्या वर्णन शब्दों को दो अर्थों में प्रयोग किया गया है —

(a) कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन. → जान-बूझकर धोखा देने के उद्देश्य से जो मिथ्या वर्णन किया जाता है उसे कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन कहते हैं, इसलिए अधिनियम में इसके लिए कपट शब्द का प्रयोग किया गया है। कपट शब्द का विवरण अधिनियम की धारा 17 में दिया गया है।

(b) निर्दोष मिथ्या वर्णन. → जब मिथ्या वर्णन अज्ञानवश किया जाता है तो उसे निर्दोष मिथ्या वर्णन कहते हैं। अधिनियम में इसे भी मिथ्या वर्णन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अनुबंध करने के लिए लापरवाही से असत्य को सत्य बात समझकर कहता है जिसका उद्देश्य दूसरे को धोखा देना नहीं है, पर उसे धोखा हो जाता है तो इसे हम मिथ्या वर्णन ही कहते हैं।

(v) भूल या गलती: → अनुबंध की मान्यता के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहमति उस समय कही जाती है जब वे एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होते हैं किन्तु कभी-कभी ऐसा भी संभव हो जाता है, अनुबंध के किसी आवश्यक तथ्य के विषय में अज्ञानता अथवा भूल के कारण पक्षकार गलती कर बैठते हैं, इस स्थिति में भी कहा जाता है कि सहमति भूल से प्रभावित है। इस अधिनियम के अनुसार जब ठहराव के दोनों पक्षकार ठहराव के किसी आवश्यक तथ्य के विषय में भूल या गलती पर हैं तो ऐसी हालत में सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जा सकती। ऐसी परिस्थिति में ठहराव व्यर्थ होता है।

(Q) सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, किन्तु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। व्याख्या करें।

Ans → उपर्युक्त कथन के दो भाग हैं — (i) सभी अनुबंध ठहराव होते हैं। (ii) सभी ~~अनुबंध~~ ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं।

(i) सभी अनुबंध ठहराव होते हैं → अनुबंध की उत्पत्ति ठहराव से होती है। अनुबंध अधिनियम के अनुसार "अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो।" अनुबंध का रूप धारण कर सकता है। जब कोई ठहराव राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो जाता है तो अनुबंध का रूप धारण कर सकता है। जब कोई ठहराव अनुबंध नहीं बन सकता। कई ठहराव ऐसे ठहराव अनुबंध की आधारशिला है। बिना ठहराव के अनुबंध नहीं होते हैं जो ठहराव की श्रेणी में सम्मिलित किये जा सकते हैं, परन्तु जिन्हें अनुबंध नहीं कहा जा सकता। किसी भी ठहराव के अनुबंध बनने के लिए उसे राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होना आवश्यक है। एक ठहराव को राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होने के लिए उसमें कुछ विशेष लक्षणों का होना आवश्यक है। लक्षण इस प्रकार हैं — (i) ठहराव होना चाहिए अर्थात पक्षकारों के बीच प्रस्ताव तथा (ii) उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। ठहराव ऐसा हो जो वैधानिक रूप से लागू कराया जा सके, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता हो, उनमें स्वतंत्र सहमति हो, ठहराव का प्रतिफल एवं उद्देश्य विधिपूर्ण हो। ठहराव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे विशेष रूप से व्यर्थ घोषित कर दिया गया हो। कानून के व्यवस्था के अनुसार लिखित, प्रमाणित तथा रजिस्टर्ड होना चाहिए। जिस ठहराव में ये विशेषताएँ होंगी वही अनुबंध कहलायेगा। इस प्रकार एक अनुबंध के लिए ठहराव का होना आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं।

(ii) समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं: → सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। ठहराव के लिए केवल दो बातें प्रस्ताव तथा स्वीकृति का होना आवश्यक है। अन्य बातें जो एक अनुबंध में होनी चाहिए, ठहराव के लिए आवश्यक नहीं है। ठहराव के लिए वैधानिक उत्तरदायित्व का होना भी आवश्यक नहीं है। गैरकानूनी कार्यों के लिए भी ठहराव हो सकते हैं। ठहराव का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा नैतिक उत्तरदायित्व भी ठहराव के अन्तर्गत आ जाते हैं। वैधानिक दृष्टि से ऐसे ठहराव अनुबंध के आधार नहीं हो सकते क्योंकि इन ठहरावों का पालन राजनियम द्वारा ही कराया जा सकता है और संबंधित पक्षकारों के विश्वास पर निर्भर करता है। निम्नांकित निर्णयों से यह बात स्पष्ट हो सकती है — श्री बेलफर बनाम श्रीमती बेलफर — श्री बेलफर ब्रिटेन के निवासी थे और श्रीलंका में नौकरी करते थे। एक दिन नौकरी से छुट्टी लेकर अपनी पत्नी को अपने साथ लाने के लिए ब्रिटेन गये परन्तु उनकी पत्नी बीमारी के कारण साथ नहीं आ सकी। वापस लौटते समय श्री बेलफर ने अपनी पत्नी श्रीमती बेलफर को 30 पौंड प्रतिमाह देने का वचन दिया। श्रीलंका से वे अपने वादे के अनुसार 30 पौंड नहीं भेज सके। श्रीमती बेलफर ने उस धनराशि को लेने के लिए अपने पति श्री बेलफर पर मुकदमा चलाया, पर वे सफल नहीं

Scanned with CamScanner

(2) प्रस्ताव एवं स्वीकृति से संबंधित वैधानिक नियमों की व्याख्या कीजिए? Or, प्रस्ताव एवं स्वीकृति कब पूर्ण होता है? समीक्षा करें।

Ans:→ प्रस्ताव की परिभाषा :→ भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2 (क) के अनुसार "जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी कार्य को करने अथवा उससे अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उस दूसरे व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने के संबंध में स्वीकृति प्राप्त हो, तो कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव किया है। अर्थात जो व्यक्ति प्रस्ताव रखता है उसे प्रस्तावक (Purposer) अथवा वचनदाता (Promisor) कहते हैं। जिस व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा जाता है उसे वचनग्रहीता (Promisee) कहते हैं।

→ प्रस्ताव के आवश्यक लक्षण:→ (i) दो पक्षकारों का होना :→ कोई व्यक्ति स्वयं के लिए कोई प्रस्ताव नहीं कर सकता। प्रस्ताव सदैव किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखा जाता है। अतः प्रस्ताव के लिए दो विभिन्न पक्षकारों का होना आवश्यक है।

(ii) प्रस्तावक द्वारा किसी कार्य को करने या न करने के विषय में इच्छा प्रकट करना:→ प्रस्ताव में प्रस्तावक किसी कार्य को करने के लिए अथवा उस कार्य के संबंध में अपनी इच्छा प्रकट करता है। उदाहरणस्वरूप जब 'अ' अपनी किताब दो सौ रूपया में 'ब' को बेचने का प्रस्ताव करता है तो 'अ' किसी कार्य को करने का प्रस्ताव करता है। इसी तरह जब 'अ' यह प्रस्ताव 'ब' से करता है कि चालीस रूपये के बदले 'अ' तीन महीने तक 'ब' पर रूपये का भुगतान करने के लिए मुकदमा दायर न करे तो यहाँ 'अ' किसी कार्य को न करने का प्रस्ताव करता है।

(iii) प्रस्तावक द्वारा दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से इच्छा का प्रकट करना। प्रस्तावक प्रस्ताव द्वारा दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अपनी इच्छा प्रकट करता है। यदि प्रस्ताव दूसरे पक्षकार की सहमति लेने के उद्देश्य से न किया जाये तो उसे प्रस्ताव नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसा न करने से प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जा सकता है और ठहराव भी नहीं बन सकता। जैसे यदि 'अ' 'ब' से अपनी घड़ी दिखाकर यह कहे कि वह 500 रूपये की है तो यह एक सूचना मात्र है, प्रस्ताव नहीं, क्योंकि 'अ' 'ब' से कोई इच्छा प्राप्त करने का इरादा नहीं रखता।

→ प्रस्ताव की स्वीकृति :→ एक वैध ठहराव के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति अत्यंत आवश्यक है जब वह व्यक्ति जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है अपनी सहमति प्रदान कर देता है तो प्रस्ताव स्वीकृत समझा जाता है। प्रस्ताव स्वीकृति के बाद ही वचन का रूप धारण कर सकता है। "सर विलियम एन्सन" के अनुसार "एक प्रस्ताव के लिए स्वीकृति का वही प्रभाव होता है जो बारूद से भरी रेलगाड़ी के लिए एक जलती दियासलाई का। दोनों ऐसा कार्य करते हैं जिसे रोका नहीं जा सकता।" जैसे एक जलती दियासलाई बारूद से भरी रेलगाड़ी के सम्पर्क में आते ही विस्फोट पैदा कर देती है वैसे ही प्रस्ताव के स्वीकृति होते ही वह ठहराव बन जाता है।

⇒ प्रस्ताव संबंधी वैधानिक नियम:→

(i) प्रस्ताव की शर्तें निश्चित होनी चाहिए :→ प्रस्ताव की सारी बातें निश्चित व स्पष्ट होनी चाहिए। अनिश्चित प्रस्ताव राजनियम की दृष्टि से प्रस्ताव नहीं होते हैं।

(ii) प्रस्ताव निवेदन के रूप में होना चाहिए :→ प्रस्तावक के अधिकार है कि प्रस्ताव को स्वीकार करने का ढंग नियत कर दे किन्तु प्रस्ताव आज्ञा के रूप में नहीं बल्कि प्रार्थना के रूप में होना चाहिए।

(iii) प्रस्ताव का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना होना चाहिए :→ प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से होना चाहिए। जब दो पक्षकारों के बीच ठहराव का उद्देश्य वैधानिक दायित्व उत्पन्न करना नहीं होता है तो वैध अनुबंध नहीं हो सकता। वास्तव में प्रस्ताव से वैधानिक परिणाम की उत्पत्ति होनी चाहिए और उसे वैधानिक संबंध स्थापित करने में समर्थ होना चाहिए।

(iv) प्रस्ताव विशिष्ट अथवा सामान्य हो सकता है :→ प्रस्ताव साधारण या विशिष्ट हो सकता है। जब कोई प्रस्ताव साधारण जनता के सामने या व्यक्तियों के अनिश्चित समूह के सामने रखा जाता है तब इसे सामान्य प्रस्ताव कहते हैं, लेकिन प्रस्ताव जब किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के एक वर्ग के सामने रखा जाता है तब उसे विशेष प्रस्ताव कहते हैं।

Scanned with CamScanner

(iv) प्रस्ताव की संसूचना अवश्य होनी चाहिए :→ प्रस्ताव की सूचना उस व्यक्ति को अवश्य होनी चाहिए जिसके सम्मुख वह रखा गया है जिससे कि वह उसे स्वीकार कर सके। जब उस व्यक्ति को जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है, प्रस्ताव की सूचना नहीं होती तो वह उसे स्वीकार नहीं कर सकता है। जब तक प्रस्ताव की संसूचना नहीं होती है तो इसे प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं कहा जा सकता और ठहराव का रूप धारण नहीं कर सकता है।

(v) प्रस्ताव अभिव्यक्त या गर्भित हो सकता है :→ अनुबंध अधिनियम की धारा 9 के अनुसार जब किसी वचन का प्रस्ताव शब्दों में किया जाता है, वह वचन अभिव्यक्त कहलाता है। जब ऐसा प्रस्ताव शब्दों से अन्यथा किया जाता है, वह वचन गर्भित कहलाता है। इस प्रकार प्रस्ताव मौखिक या लिखित रूप में शब्दों में प्रकट किया जा सकता है अथवा गर्भित रूप में प्रस्तावक के व्यवहार अथवा अपने आचरण द्वारा प्रस्ताव कर सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रस्ताव अभिव्यक्त ही हो।

→ स्वीकृति संबंधी वैधानिक नियम:→

(i) प्रस्ताव की स्वीकृति उसी व्यक्ति द्वारा होना चाहिए जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है :→ प्रस्ताव को स्वीकृत करने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को है जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है, अन्य किसी व्यक्ति द्वारा दी गयी स्वीकृति वैध नहीं होती है।

(ii) स्वीकृति पूर्ण तथा शर्तरहित होना चाहिए :→ प्रस्ताव की स्वीकृति पूर्णरूप से और बिना शर्त की होनी चाहिए। राजनियम की दृष्टि में सशर्त स्वीकृति को वैध नहीं माना जाता है। प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव के प्रत्येक बात के अनुकूल और अपरिवर्तित होनी चाहिए।

(iii) स्वीकृति प्रस्तावक द्वारा निश्चित किये हुए ढंग से होनी चाहिए :→ स्वीकृति सामान्यतः उचित ढंग से होनी चाहिए। यदि प्रस्तावक स्वीकृति किसी नियम विधि के अनुसार चाहता है तो उसकी स्वीकृति निश्चित विधि के अनुसार होनी चाहिए। उदाहरण के लिए प्रस्तावक डाक द्वारा मिलता है इसकी स्वीकृति का जवाब भी डाक द्वारा उचित समय के भीतर प्रस्तावक द्वारा मिल जाना चाहिए।

(iv) स्वीकृति आचरण द्वारा भी हो सकता है :→ इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि केवल मानसिक स्वीकृति जिसकी शब्दों अथवा आचरण द्वारा पुष्टि न की गई हो, अधिनियम की दृष्टि से स्वीकृति नहीं हो सकती। n किसी प्रस्ताव पर मौनधारण कर लेना स्वीकृति नहीं है क्योंकि मौन का अर्थ स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों हो सकता है। यह प्रस्तावक के अधिकार के बाहर है कि वह यह जान सके कि स्वीकर्ता के मन में स्वीकृति है या अस्वीकृति; अतः प्रत्येक स्वीकृति के लिए आवश्यक है कि उसकी पुष्टि शब्दों या आचरण द्वारा की गयी हो।

(v) स्वीकृति की संसूचना प्रस्तावक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का होना चाहिए. स्वीकृति की संसूचना उस व्यक्ति को होना चाहिए जिसने कि प्रस्ताव किया है या प्रस्ताव करनेवाले व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को। इसके अतिरिक्त यदि किसी और को स्वीकृति संसूचित की जाती है तो ऐसी संसूचना मान्य नहीं होगी।

(vi) स्वीकृति की संसूचना अवश्य होनी चाहिए :→ प्रस्ताव की ही तरह स्वीकृति की संसूचना भी आवश्यक है केवल मानसिक स्वीकृति जो शब्दों या आचरण द्वारा प्रदर्शित/प्रकट नहीं की गयी है, राजनियम की दृष्टि से स्वीकृति नहीं है क्योंकि स्वीकृति केवल मानसिक सहमति के अनुसार ही होना चाहिए।

(vii) स्वीकृति अभिव्यक्त अथवा गर्भित हो सकता है :→ स्वीकृति अभिव्यक्त तभी कही जा सकती है जब लिखित या मौखिक हो जब इसके अतिरिक्त किसी अन्य ढंग से स्वीकृति को प्रकट किया जाये तो यह गर्भित स्वीकृति कहलायेगी।

(viii) प्रस्ताव जाने बिना स्वीकृति वैध नहीं :→ यदि कोई कार्य प्रस्ताव को जाने बिना किया गया और इस कार्य की प्रकृति उस प्रस्ताव की स्वीकृति जैसी है, तो वैध स्वीकृति नहीं मानी जायेगी, क्योंकि बिना प्रस्ताव के स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ix) शर्तों के पालन अथवा प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा भी प्रस्ताव की स्वीकृति हो सकती है. प्रस्ताव के शर्तों को पूरा करना अथवा स्वीकार करना जो प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाये, प्रस्ताव की स्वीकृति ही है

Scanned with CamScanner

(5) पंचनिर्णय से आपका क्या आशय है? पंचनिर्णय के लिए क्या निर्देश किया जा सकता है? कौन इसे निर्देश कर सकता है? Or, एक पंच के अधिकार और कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। एक पंच के "दुर्व्यवहार" का क्या अर्थ है?

Ans → **पंचनिर्णय की परिभाषा** :→ जब दो विवादग्रस्त व्यक्ति या संस्थाएँ किसी तीसरे पक्षकार से अपने विवाद का निपटारा करने के लिए आग्रह करती है और तीसरा पक्ष इस काम के लिए अपनी सहमति दे देता है तो इसे पंचनिर्णय के लिए निपटारा कहते हैं। पंचनिर्णय पंचों का एक लिखित निर्णय होता है जो एक प्रकार के न्यायालय के डिक्री की तरह होता है। यह लिखित तथा सभी पंचों द्वारा हस्ताक्षरित और तारिख सहित होता है। पंचायत की प्रत्येक बैठक में सभी पंचों की उपस्थिति रहना तथा अंतिम बैठक में निर्णय लिखते समय सभी का रहना आवश्यक है। पंचों को उन सभी झगड़ों के संबंध में एक साथ ही निर्णय लेना चाहिए जो कि उन्हें सौंपे गये हो। निर्णयपूर्ण एवं निश्चित होना चाहिए। स्पाइसर व पैगलर के शब्दों में, "किसी विवाद को निर्णय के लिए न्यायालय में न देकर एक या अधिक व्यक्तियों के समक्ष प्रस्तुत करने को पंचनिर्णय कहा जाता है।"

→ **पंचों के कर्तव्य** :→ (i) **नियुक्ति विधिपूर्ण** :→ पंचों का सबसे पहला कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित कर ले कि उनकी नियुक्ति विधिपूर्वक की गयी है।

(ii) **निस्पक्षता से कार्य करना** :→ पंचों को निस्पक्षता से कार्य करना चाहिए क्योंकि उनकी स्थिति अर्द्धन्यायिक होती है। उन्हें सभी पक्षों की बातों को बिना पूर्वाग्रह के सुनना व सुविचारित निर्णय देना चाहिए।

(iii) **साक्ष्य के नियमों का पालन** :→ स्वाभाविक न्याय के सिद्धांत के आधार पर उन्हें साक्ष्य के नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार पंच को ऐसे साक्ष्यों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो किसी एक पक्ष के लिए बाध्यकारी न हो।

(iv) **पक्षकारों की सुविधाओं को ध्यान में रखना** :→ पंचों को चाहिए कि यथासंभव स्थान, समय आदि के बारे में दोनों पक्षकारों की सुविधाओं को ध्यान में रखे।

(v) **न्याय के प्रमुख सिद्धांतों का पालन करना** :→ पंचों द्वारा न्याय के प्रमुख सिद्धांतो का पालन करना अनिवार्य है।

(vi) **कोई दुराचरण नहीं** :→ पंचों को दुराचरण जैसे घूस लेना आदि नहीं करना चाहिए। बैठकों में शामिल न होना भी दुराचरण की श्रेणी में आता है।

(vii) **वकील नियुक्ति करने का अवसर देना** :→ पक्षकारों की माँग के अनुसार उन्हें अपना पक्ष वकील के द्वारा रखने का अवसर प्रदान करना चाहिए।

(viii) **किसी पक्षकार के एजेन्ट के रूप में कार्य न करना** :→ पंचों को किसी भी पक्षकार के एजेन्ट या वकील के रूप मे कार्य नहीं करना चाहिए। नियुक्ति करनेवाले पक्षकार की ओर से भी नहीं बोलना चाहिए।

(ix) **सभी विवादस्पद विषयों पर निर्णय देना** :→ संपूर्ण विवादस्पद विषयों पर एक संयुक्त परिनिर्णय देना चाहिए, किन्तु यदि ठहराव भिन्न-भिन्न आशय के हो तो प्रत्येक के अनुसार अलग-अलग परिनिर्णय दे सकते हैं।

(x) **स्वयं कार्य करना** :→ पंचों को स्वयं ही कार्य करना व निर्णय देना चाहिए। वे अपना अधिकार दूसरों को नहीं दे सकते। परन्तु, कानूनी विषयों पर वकील या योग्य-व्यक्तियों की राय ले सकते हैं।

(xi) **अधिकारों के अर्न्तगत कार्य करना** :→ पंचों को अपने अधिकारों से बाहर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। और निर्देश की शर्तों का अवश्य पालन करना चाहिए।

(xii) **पंचनिर्णय पर हस्ताक्षर करना** :→ पंचों को पंचनिर्णय पर हस्ताक्षर अवश्य करना चाहिए।

(xiii) **पंचनिर्णय की प्रतिलिपि तथा अन्य दस्तावेजों को न्यायालय में प्रस्तुत करना** :→ किसी भी पक्षकार की प्रार्थना तथा उचित फीस देने पर या न्यायालय के आदेश पर गवाहों के बयान, दूसरे दस्तावेज तथा पंचनिर्णय के प्रतिलिपि न्यायालय में प्रस्तुत कर देना चाहिए।

→ **पंचनिर्णय के लिए निर्देश** :→ निम्नलिखित व्यक्ति पंचनिर्णय के लिए निर्देश कर सकते है —

(i) **अनुबंध करने के लिए योग्य व्यक्ति** :→ कोई भी व्यक्ति जिसमें अनुबंध करने की क्षमता हो अर्थात वह नियमानुसार वयस्क एवं स्वस्थ मस्तिष्क का हो।

Scanned with CamScanner

करने के अक्षम व्यक्तियों का संरक्षक सद्भावना से उनके हितों के लिए निर्देश कर सकता है।

(i) एजेन्ट :→ प्रधान द्वारा लिखित अधिकार प्राप्त या गर्भित रूप से अधिकृत एजेन्ट किसी विवाद को पंचनिर्णय के लिए निर्देश कर सकते हैं।

(ii) साझेदार :→ अन्य साझेदारों की सहमति से कोई साझेदार निर्देश कर सकता है।

(iv) वकील या मुख्तार :→ कोई वकील या मुख्तार अपने मुवक्किल की राय से किसी विवाद को पंचनिर्णय के लिए निर्देश कर सकता है।

(v) संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता :→ परिवार के सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता किसी मामले को पंचनिर्णय के लिए निर्देश कर सकता है।

(vi) राजकीय प्रापक :→ न्यायालय की आज्ञा प्राप्त करके राजकीय प्रापक दिवालि संबंधी मामलों को पंचनिर्णय के लिए निर्देश कर सकता है।

(vii) कम्पनी या निगम :→ भारतीय कम्पनी अधिनियम के अनुसार या निगम के नियमानुसार क्रमशः कम्पनी या निगम कोई संबंधित ~~[illegible]~~ विवाद पंचनिर्णय के लिए निर्देश कर सकते हैं।

⇒ पंचों के अधिकार :→ किसी विपरीत ठहराव के अभाव में पंचों के निम्नलिखित अधिकार हैं —

(i) शपथ दिलाना :→ यदि पंचनिर्णय के अनुसार आवश्यक हो तो पंच किसी भी पक्षकार या गवाह को शपथ दिला सकते हैं।

(ii) न्यायालय की राय :→ कानून या पंचनिर्णय संबंधित मामलों में न्यायालय की राय देने के लिए सुपुर्द कर सकते हैं।

(iii) पंचनिर्णय सशर्त या वैकल्पिक :→ यदि सशर्त पंचनिर्णय दिया जाता है तो यह तब तक पूर्ण नहीं माना जायेगा जब तक वैकल्पिक निर्णय भी न दिया गया हो। शर्त पूरी न होने पर वैकल्पिक पंचनिर्णय लागू होता है।

(iv) किसी भूल या गलती को शुद्ध करना :→ यदि पंचनिर्णय में कोई भूल-चूक या टाईप करने की गलती या लिखने की गलती हो तो उसे शुद्ध किया जा सकता है पर कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

(v) प्रश्न पूछना :→ किसी भी पक्षकार से आवश्यक प्रश्न पूछने का अधिकार है।

(vi) ब्याज निर्धारण :→ पंचनिर्णय में देय तिथि तक ब्याज निर्धारण किया जाता है।

(vii) व्यय का निर्धारण :→ यह तय करने का अधिकार है कि पंचनिर्णय संबंधी निर्देश के संबंध में किसके द्वारा किसको तथा कितना व्यय अदा किया जायेगा।

(viii) अंतरिम पंचनिर्णय :→ पंचों को अंतरिम निर्णय देने का अधिकार है।

(ix) किस्तों में भुगतान :→ पंचायत को किस्तों में अदायगी आदेश देने का अधिकार है।

(x) विशिष्ट निष्पादन :→ पंचायत को अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन का आदेश देने का अधिकार है।

———o———

(6)

By, Sweet sir
R.N.C.
B.L (H) — (III)

Scanned with CamScanner